

- अनुमति की शर्तें ।**
- (i) उक्त भवन / मूलभूत के निर्माण की स्वीकृति स्वयंसेवक विभाग की है ।
 - (ii) शिप्टों को बनाने का निर्णय स्वयंसेवक, राजस्व विभाग, नगरपालिका या अन्य एजेंसी को शिप्टों में नियम का कोड अपरवाहित नहीं होगा ।
 - (iii) नगर पंच डी विभाग द्वारा अधिभूति के लिए परामर्शदात्री होगा ।
 - (iv) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यक विभाग को सूचित करेगा ।
 - (v) स्वीकृत नक्शे को विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एक्यू (सीडकी केवल आवासीय सुवीप्साधी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 868 दिनांक 25/01/2021
 प्राथीका श्रीमती शिखा व्यास जी 10 ली नीमज व्यास
 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9999/- जमा
 करिये रसीद अख्या 3069/636-633
 दिनांक 25/01/2021 को जमा करा दी है ।

P.No: 67 की शुभाष नाम (विस्तार
 थीवना, श्रीभावती की लकी

29/1/2021

सहायक नगर निर्माता
 नगर निगम, जोधपुर

जी.ए.
 आवासीय

Recd


2014514127